



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या- 318 वर्ष 2026

किशोर अपराधी एस द्वारा पिता

.....पुनरीक्षणकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा मुख्य सचिव गृह विभाग लखनऊ एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

पुनरीक्षणकर्ता(गण) के अधिवक्ता	: सायमा खान, अभिषेक कुमार दीक्षित, हृषभ सिंह, सीमा कश्यप
प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -13

माननीय न्यायाधीश श्री सौरभ लवानिया

- राज्य कि ओर से आज प्रस्तुत प्रतिशपथ- पत्र को पत्रावली पर लिया गया।
- राज्य की ओर से दायर प्रतिशपथ- पत्र के अनुलग्नक-1 के अनुसार, विपक्षी संख्या 3 पर नोटिस की तामील पर्याप्त है। इस न्यायालय ने 19.02.2026 को यह टिप्पणी की थी कि: "यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि इस न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि निजी विपक्षियों पर तामील पर्याप्त है, तो ऐसी स्थिति में, अगली सुनवाई की तारीख पर, बीमारी सहित किसी भी आधार पर मामले को स्थगित नहीं किया जाएगा, और पहली ही सुनवाई पर उचित आदेश पारित किया जाएगा, जिसमें विपक्षी संख्या 2 और 3 के प्रतिकूल आदेश भी शामिल हो सकता है।" उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए, इस न्यायालय ने मामले का अंतिम रूप से निस्तारण करने की कार्यवाही शुरू की।
- पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. की दलीलें सुनी गईं, और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।
- यह आपराधिक पुनरीक्षण याचिका किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (संक्षेप में "अधिनियम, 2015") की धारा 102 के तहत, बाल न्यायालय/विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम), प्रतापगढ़ द्वारा आपराधिक अपील संख्या 32/2024 (बाल अपचारी 'एस' बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य) में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 03.12.2024; तथा किशोर न्याय बोर्ड, प्रतापगढ़ द्वारा एफआईआर/मुकदमा अपराध संख्या 0226/2023 धारा 363, 366, 376(3) भारतीय दंड संहिता और पोक्सो अधिनियम की धारा 5एल/6 के तहत, पुलिस थाना - दलीपपुर, जिला- प्रतापगढ़ से उत्पन्न मामले में दिनांक 13.03.2024 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर की गई है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्ता ने यह दलील दी है कि उसको इस मामले में झूठा फंसाया गया है और अभियोजन की कहानी झूठी, मनगढ़ंत और गलत है।

6. आगे यह भी दलील दी गई है कि पुनरीक्षणकर्ता, कथित घटना के समय अर्थात् 21.12.2023, जैसा कि प्राथमिकी में बताया गया है नाबालिग है जिसकी आयु लगभग 14 साल, 09 महीने और 27 दिन है तथा जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, 26.12.2023 से हिरासत में है।

7. पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्ता ने इसके बाद यह दलील दी है कि केवल हिरासत की अवधि को ध्यान में रखते हुए—जो 02 साल से ज्यादा हो चुकी है—और साथ ही इस संबंध में दिए गए विभिन्न फैसलों को देखते हुए, जिनमें **गुदिकंती नारासिम्हलू बनाम आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय (1978) 1 एससीसी 240 : 1978 एससीसी (क्री) 115; बाबु सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1978) 1 एससीसी 579 : 1978 एससीसी (क्री) 133; हुस्सैनारा खातून (I) बनाम बिहार राज्य (1980) 1 एससीसी 81 : 1980 एससीसी (क्री) 23; अब्दुल रहमान अंतुले बनाम आर.एस. नायक (1992) 1 एससीसी 225 : 1992 एससीसी (क्री) 93; सर्वोच्च न्यायालय विधिक सहायता समिति (प्रतिनिधि, विचाराधीन बंदी) बनाम भारत संघ (1995) 4 एससीसी 695 : 1995 एससीसी (क्री) 822; भारत संघ बनाम के ए नजीब (2021) 3 एससीसी 713; सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम सी बी आई (2022) 10 एससीसी 51 : (2023) 1 एससीसी (क्री) 1; पारस राम बिश्नोई बनाम सी बी आई, 2021 एससीसी ऑनलाइन एस सी 3606 में प्रतिवेदित; जावेद गुलाम नबी शेख केस (2024) 9 एससीसी 813 : (2025) 1 एससीसी (क्री) 222**, शामिल हैं, जो कि परीक्षण के दौरान लंबे समय तक जेल में रहने के कारण आरोपी को जमानत पर रिहा करने से संबंधित है, यह पुनरीक्षण याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है और पुनरीक्षणकर्ता जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

8. पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्ता ने आगे यह दलील दी कि 2015 के अधिनियम की धारा 12 और 18(1)(जी) को ध्यान में रखते हुए, जिसके अनुसार पुनरीक्षणकर्ता, जो कथित घटना के दिन लगभग 14 साल 09 महीने 27 दिन का था, को दी जा सकने वाली अधिकतम सजा, यदि अभियोजन किशोर न्यायालय के सामने अपना केस बिना किसी संदेह के सिद्ध कर पाता है, तो वह जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

9. वाद के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें घटना की तिथि को पुनरीक्षणकर्ता की आयु लगभग 14 साल, 09 महीने, 27 दिन, साथ ही जेल में बिताई गई अवधि और पुनरीक्षणकर्ता को दी जा सकने वाली अधिकतम सजा/दंड, और साथ ही यह तथ्य कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, पुनरीक्षणकर्ता/किशोर अपराधी जमानत पर मुक्त होने का अधिकारी है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

10. इन परिस्थितियों में, पुनरीक्षणकर्ता को ज़मानत पर रिहा किया जा सकता है और ऐसी कोई आशंका नहीं है कि ज़मानत पर रिहा होने के बाद वह जाने-पहचाने या अनजान अपराधियों के संपर्क में आएगा या उसे नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक संकट का सामना करना पड़ेगा।

11. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. और निजी विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता ने यह दलील दी कि दोनों अवर न्यायालयों द्वारा कोई भी गैर-कानूनी काम नहीं किया गया है, क्योंकि पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध थे; हालाँकि, उन्होंने पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की उपरोक्त दलीलों का विरोध नहीं किया है।

12. इस प्रकार, उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए—जिनमें घटना की तिथि को पुनरीक्षणकर्ता की आयु, कारावास की अवधि, और पुनरीक्षणकर्ता को दी जा सकने वाली अधिकतम सज़ा/दंड शामिल हैं—और साथ ही इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, मैं इसे ज़मानत के लिए एक उपयुक्त मामला मानता हूँ। तदनुसार, यह पुनरीक्षण **स्वीकार** किया जाता है।

13. किशोर न्यायालय/विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम), प्रतापगढ़ द्वारा आपराधिक आपराधिक अपील संख्या 32/2024 (बाल अपचारी 'एस' बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य) में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 03.12.2024; तथा किशोर न्याय बोर्ड, प्रतापगढ़ द्वारा एफआईआर/मुकदमा अपराध संख्या 0226/2023 धारा 363, 366, 376(3) भारतीय दंड संहिता और पोक्सो अधिनियम की धारा 5एल/6 के तहत, पुलिस थाना - दलीपपुर, जिला - प्रतापगढ़ से उत्पन्न मामले में दिनांक 13.03.2024 को पारित आदेश अपास्त किए जाते हैं।

14. उपरोक्त वाद अपराध संख्या में संलिप्त किशोर "एस" को, ऊपर बताए गए मामले में, उसके पिता/प्राकृतिक अभिभावक द्वारा एक निजी मुचलका और उतनी ही राशि के दो विश्वसनीय ज़मानतदारों के साथ, संबंधित न्यायालय/बोर्ड की संतुष्टि के अनुसार, ज़मानत पर रिहा किया जाए। साथ ही, उसके पिता द्वारा एक शपथ-पत्र के रूप में यह वचन देना होगा कि वे किशोर की उचित देखभाल करेंगे; उसे किसी भी गैर-कानूनी या आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होने देंगे, न ही उसे गैर-कानूनी तत्वों की संगति करने देंगे; उसे अपने सख्त नियंत्रण में रखेंगे; साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने या गवाहों को धमकाने का कोई प्रयास नहीं करेंगे; साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर किसी भी स्थगन की मांग नहीं करेंगे; और विचारण न्यायालय के समक्ष निर्धारित प्रत्येक तिथि पर या तो स्वयं उपस्थित रहेंगे या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेंगे; ऐसा न करने पर, किशोर को दी गई ज़मानत का आदेश निरस्त किया जा सकता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



15. आज से एक वर्ष की अवधि तक, किशोर अपने प्राकृतिक अभिभावक के साथ, प्रत्येक माह की 10 तारीख को, संबंधित जिला परिवीक्षा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा।

(न्यायमूर्ति श्री सौरभ लवानिया)

17 मार्च, 2026

एमएल/-

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।